रमज़ान के छूटे हुए रोज़ों की क़ज़ा करने की नीयत से शक के दिन रोज़ा रखाना

﴿صيام يوم الشك بنية قضاء ما فات من رمضان﴾

[*हिन्दी* - **Hindi** - هندي]

मुहम्मद सालेह अल-मुनज्जिद

अनुवादः **अताउर्रहमान ज़ियाउल्लाह**

2010 - 1431

islamhouse.com

﴿ صيام يوم الشك بنية قضاء ما فات من رمضان ﴾

« باللغة الهندية »

محمد صالح المنجد

ترجمة: عطاء الرحمن ضياء الله

2010 - 1431

islamhouse.com

بسم الله الرحمن الرحيم

बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम

मैं अति मेहरबान और दयालु अल्लाह के नाम से आरम्भ करता हूँ।

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وبعد:

हर प्रकार की हम्द व सना (प्रशंसा और गुणगान) अल्लाह के लिए योग्य है, हम उसी की प्रशंसा करते हैं, उसी से मदद मांगते और उसी से क्षमा याचना करते हैं, तथा हम अपने नफ्स की बुराई और अपने बुरे कामों से अल्लाह की पनाह में आते हैं, जिसे अल्लाह तआला हिदायत दे दे उसे कोई पथभ्रष्ट (गुमराह) करने वाला नहीं, और जिसे गुमराह कर दे उसे कोई हिदायत देने वाला नहीं। हम्द व सना के बाद :

रमज़ान के छूटे हुए रोज़ों की क़ज़ा करने की नीयत से शक के दिन रोज़ा रखना

प्रश्नः

मुझे इस बात की जानकारी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम (आप पर अल्लाह की दया और शांति अवतरित हो) ने शक के दिन रोज़ा रखने से रोका है, इसी तरह रमज़ान के महीने से एक–दो दिन पहले रोज़ा रखने से भी मना किया है। किन्तु, क्या मेरे लिए इन दिनों में पिछले रमज़ान के छूटे हुए रोज़ों की क़ज़ा करना जाइज़ है ?

उत्तरः

हर प्रकार की प्रशंसा और गुणगान अल्लाह के लिए योग्य है।

जी हाँ, शक के दिन और रमज़ान से एक या दो दिन पहले, पिछले रमज़ान के छूटे हुए रोज़ों की क़ज़ा करना जाइज़ है।

नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से यह बात प्रमाणित है कि आप ने शक के दिन (अर्थात् 30 शाबान को) रोज़ा रखने से रोका है, तथा आपने रमज़ान शुरू होने से एक या दो दिन पहले ही से रोज़ा रखने से मना किया है। किन्तु यह निषेद्ध उस समय है जब आदमी की उन दिनों में रोज़ा रखने की कोई आदत न हो, क्योंकि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का फरमान है कि ''रमज़ान से पहले एक या दो दिन रोज़ा न रखो, सिवाय उस आदमी के जो – इन दिनों में – कोई रोज़ा रखता रहा हो तो उसे चाहिए कि वह रोज़ा रखे।'' (सहीह बुख़ारी हदीस संख्या : 1914, सहीह मुस्लिम हदीस संख्या : 1082)

अतः यदि किसी इंसान की – उदाहरण के तौर पर – सोमवार के दिन रोज़ा रखने की आदत है और वह दिन शाबान के अंतिम दिन को पड़ जाये, तो ऐसी स्थिति में उसके लिए उस दिन स्वैच्छिक (नफ्ली) रोज़ा रखना जाइज़ है और उसे उस दिन रोज़ा रखने से रोका नहीं जायेगा।

जब – शक के दिन – स्वभाविक नफ्ली (स्वैच्छिक) रोज़ा रखना जाइज़ है, तो रमज़ान की क़ज़ा का रोज़ा रखना तो और अधिक जाइज़ है, क्योंकि यह वाजिब (अनिवार्य) है। तथा इस लिए भी कि – पिछले रमज़ान के छूटे हुए रोज़ों की– क़ज़ा को अगले रमज़ान के बाद तक विलंब करना जाइज़ नहीं है।

इमाम नववी रहिमहुल्लाह अपनी किताब 'अल–मजमू' (6/399) में कहते हैं:

''हमारे असहाब का कहना है : बिना किसी मतभेद के शक के दिन रमज़ान का रोज़ा रखना सहीह नहीं है . . . यदि वह उस दिन क़ज़ा या नज़्र (मन्नत) या कफ्फारा का रोज़ा रखता है तो वह उस के लिए पर्याप्त होगा, क्योंकि जब उसमें कोई ऐसा नफ्ली (स्वैच्छिक) रोज़ा जिसका कोई कारण हो, रखना जाइज़ है तो फर्ज़ (अनिवार्य) रोज़ा रखना तो अत्याधिक जाइज़ है, उस वक़्त के समान जिसमें नमाज़ पढ़ने से रोका गया है, (परन्तु उसमें कोई कारण वाली नमाज़ पढ़ना जाइज़ है)। और इसलिए भी कि यदि उसपर – पिछले – रमज़ान के एक दिन के रोज़े की क़जा करना बाक़ी है, तो उसपर (उस शक के दिन में) रोज़ा रखना निश्चित रूप से अनिवार्य हो जाता है, क्योंकि उसके क़ज़ा करने का समय तंग (सीमित) होगया।'' (इमाम नववी की बात समाप्त हुई।)

इस्लाम प्रश्न और उत्तर